MEDI-CAPS LIMITED

CIN: L70100MP1983PLC002231

MCL/AGM/SE/2025-26 **Date: 12th August 2025**

Online filing at: www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager,
DCS-CRD**,**
The BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Subject: Submission of press clipping related to Notice of 42nd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Reference: MEDI-CAPS LIMITED (BSE Scrip Code: 523144, ISIN: INE442D01010)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of extract of E-newspaper advertisement published on August 12th, 2025 in Free Press Journal (English edition) and Choutha Sansar (Hindi edition) regarding information of 42nd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") and informing the shareholders to register their email ids if have not registered with the Company/Depository Participant(s).

You are requested to please take on record our above said information for your reference and record.
Thanking you,
Yours faithfully,

FOR MEDI-CAPS LIMITED

ABHISHEK JAIN

Digitally signed by ABHISHEK JAIN
Date: 2025.08.12 13:24:49 +05'30'

ABHISHEK JAIN
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER
M.NO. A36699

Man gets down for smoke, clings on to 280 kmph train for 32 km

Agencies

VIENNA

A man survived unscathed after clinging to the outside of a German high-speed train as it barrelled along at up to 170mph (280km/h), police said on Friday.

The 40-year-old Hungarian man was having a cigarette on a platform in Bavaria when the train doors shut, prompting him to jump on to the bracket between two carriages.

The unidentified man told police he opted for the daredevil act because his luggage was still on the Intercity Express train headed cross-country from Munich to Lübeck.

He spent the next 20 miles (32 km) gripping on to cables before the train was brought to a controlled stop after witnesses had spotted him and alerted authorities.

The man had boarded the train in Munich and had jumped back on between carriages in Ingolstadt. Police arrested him in the Bavarian town of Kinding before the train continued north.

The man was being investigated for financial impropriety since he did not have a valid ticket, federal police said, as well as for acts that disturb normal operations.

In 2017, a 59-year-old man likewise survived clinging to the side of the Hannover-Bielefeld Express train for 15 miles.

Police implored people to avoid similar "life-threatening nonsense".

India on UK's 'Deport Now, Appeal Later' list

PTI

LONDON

India is among the countries being added to an expanded UK government list of countries where foreign criminals will be deported once they are sentenced before their appeals are heard as part of measures to crack down on rising migration to the country.

In an announcement on Sunday, the UK Home Office confirmed that the scope of its "Deport Now Appeal Later" scheme will be nearly trebled from eight countries to 23, with foreign nationals from these countries to be deported to their home countries before they can appeal against that decision.

Foreigners who have had their human rights claim refused will have a chance to take part in their UK appeal hearing remotely from overseas using video technology.

"For far too long, foreign criminals have been exploiting our system, remaining in the UK for months or even years while their appeals drag on. That has to end," said Home Secretary Yvette Cooper.

"Those who commit crimes in our country cannot be allowed to manipulate the system, which is why we are restoring control and sending a message that our laws must be respected," she said.

The list of countries covered under the remote hearing scheme, revived in 2023 by then Conservative home secretary Suella Braverman, included Finland, Nigeria, Estonia, Albania, Belize, Mauritius, Tanzania and Kosovo.

China to kick off this year Tibet rail link work near LAC

PTI

BEIJING

China is set to build the most ambitious rail link connecting Xinjiang province with Tibet, part of which will "run near" the Line of Actual Control (LAC) with India, according to a media report.

Work is expected to get underway this year on one of the world's most ambitious rail projects with the launch of a state-owned company to oversee the construction and operations of a line that will link Hotan in Xinjiang and Lhasa in Tibet, the Hong Kong-based South China Morning Post reported.

The Xinjiang-Tibet Railway Company (XTRC) had been formally registered with 95 billion yuan (USD 13.2 billion) in capital and wholly owned by China State Railway Group to build the project, the report said, quoting the state-run Shanghai Securities News.

MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

ClubMahindra

Registered Office: Mahindra Towers, 1st Floor, 'A' Wing, Dr. G.M. Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai - 400 018 | **CIN:** L55101MH1996PLC405715
T: +91 22 6918 4722 | **W:** www.clubmahindra.com
E: investors@mahindraholidays.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, all the shareholders are hereby informed that a special window has been opened for a period of 6 months from 7th July, 2025 till 6th January, 2026, to facilitate re-lodgment of transfer deeds, which were originally lodged prior to the deadline of 1st April, 2019 but were rejected/ returned/not attended due to deficiency in the documents/ process/ or otherwise.

Shareholders who wish to re-lodge transfer requests for physical shares as above, may send the transfer deeds alongwith necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent ('RTA'), KFin Technologies Limited, at email ID einward.ris@kfintech.com or at their office at Selenium Building, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana - 500 032.

Shareholders re-lodging transfer requests should have a demat account, furnish Client Master List along with the transfer documents and share certificate while re-lodging the documents for transfer with RTA.

The securities in physical mode that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode, once all the documents are found in order and due process is followed for such transfer-cum-demat-requests.

Transfer requests submitted after 6th January, 2026, will not be accepted by the Company/RTA.

For MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED
Sd/-
Dhanraj Mulki
General Counsel & Company Secretary
FCS No.: 4631

Place: Mumbai
Date: August 12, 2025

भा. कृ. अनु प-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान, खंडवा रोड, इंदौर (म.प्र.)

ICAR- National Soybean Research Institute, Khandwa Road, Indore (M.P.)

Email: dsraddmin@gmail.com, दूरभाष स.: 0731-2437950, 2476188

विज्ञापन सं/Advt.No. 14/2025

भा.कृ.अनु प-. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान, खंडवा रोड, इंदौर में अल्पावधि के लिए संविदात्मक एवं अस्थाई पद युवा पेशेवर-1 के दो पदों हेतु चयन के लिए वाक-इन-इंटरव्यू दिनांक 22 अगस्त, 2025 को आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार सम्बंधित योग्यता, पदों की संख्या एवं आवेदन करने की सम्पूर्ण जानकारी आदि के लिए उम्मीदवार वेबसाइट: icar-nsri.res.in/vacancy. अवश्य देखे।

A walk-in-interview for selection for short term contractual and temporary posts of Young Professional-I for two posts in ICAR-National Soybean Research Institute, Khandwa Road, Indore will be held on dated 22 August, 2025. For interview related qualification, number of posts and complete information to apply, etc., the candidate must visit the website: icar-nsri.res.in/vacancy.

प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र.

क्रमांक/1101/रीडर-2/एडीएम 2025 रतलाम दिनांक/05/08/2025
प्र.क्र. /बी-121/2025-26

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी बंधन बैंक गृह फाइनेंस लिमिटेड शाखा पता 16/45 प्लाजा न्यू रोड रतलाम द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतिहिन प्रवर्तन (सिक्यूरिटाईजेशन) एक्ट 2002 की धारा 14 के अंतर्गत एक सरफेसी आवेदन जो इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक/बी-121/2025-26 (बंधन बैंक गृह फाइनेंस लिमिटेड वि. श्री अजय पिता कालू नाथ व अन्य) के रूप में दर्ज होकर प्रचलित है। उक्त प्रकरण में उपस्थिति से शेष रहे अनावेदक 1. अजय पिता कालू नाथ 2. श्रीमती अनीता बाई पति अजय नाथ निवासीयान म.नं. 164, वार्ड नं. 9 ग्राम माउखेडी तहसील आलोट जिला रतलाम को सूचित किया जाता है कि उक्त उल्लेखित प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 19/08/2025 को समय दोपहर 3:00 बजे न्यायालयीन कक्ष क्रमांक 11, नवीन कलेक्टोरेट भवन महू नीमच रोड रतलाम में की जावेगी।

अतः आप नियत पेशी दिनांक व समय पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष समर्थन किया जाने हेतु उपस्थित रहे। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक व समय पर अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 05/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी।

अपर कलेक्टर
जिला रतलाम

Aadhar Housing Finance Ltd.

Aadhar Housing Finance Ltd

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069
Ujjain Branch: 06/1st Floor, Kamla Nehru Marg, Freeganj, Above IDBI Bank, Near Shaheed Park, Ujjain 456010 (M.P.)

POSSESSION NOTICE Appendix IV (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of **Aadhar Housing Finance Limited (AHFL)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

S. N.	Name of the Borrower(s)/ Co Borrower(s) (Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1	(Loan Code No. 02010001177 / Ujjain Branch) Akshay Sisodiya (Borrower) Aarti Kushwah (Co-Borrower)	All that part & parcel of property bearing, Flat No 507 Fifth Floor Om sai Om Sanwer Road Ward No 47 Ujjain (M.P.) 456001. **Boundaries:-** East- Flat No.508, West- Open Space Then Flat No.506, North- Open Area of Township, South- Corridor	12-05-2025 & ₹10,54,474/-	07-08-2025
2	(Loan Code No. 02010000655 / Ujjain Branch) Manoj Jain (Borrower) Vinita Jain (Co-Borrower)	All that part & parcel of property bearing, Flat No. 508 Fifth Floor Silver B Om Sai Om Multiflated Township Inside Sanwer Road Ward No. 47 Ujjain Madhya Pradesh 456010 **Boundaries:-** East -Open Area Of Township, West - Flat No 507, North - Open Area Of Township, South - Corridor	12-05-2025 & ₹ 10,45,921/-	07-08-2025
3	(Loan Code No. 02010000810 / Ujjain Branch) Ajay (Borrower) Rajkumar Nayak (Guarantor)	All that part & parcel of property bearing, G.F Part of Survey No. 9/1/Min-1 Situated at Aakash Parisar Maksi Road Panwasa Ward No. 40 Plot No. 122 Ujjain Madhya Pradesh 456010 **Boundaries:-** East - Plot No 123, West - Plot No 121, North - Road, South - Plot No 91 & 92	12-05-2025 & ₹ 7,58,416/-	07-08-2025
4	(Loan Code No. 02010000955 / Ujjain Branch) Ashok Dodiya (Borrower) Raju Dodiya (Co-Borrower)	All that part & parcel of property bearing, GF and FF Known as Venkteshwar Dham Maksi Road, Panwasa Ward No. 40 Plot No. B 10 Ujjain (M.P.) 456010 **Boundaries:-** East -Plot No B-11, West- Plot No B-9, North- Colony Road, South- Other House	12-05-2025 & ₹ 3,48,035/-	07-08-2025

Place : Madhya Pradesh
Date : 12.08.2025

Authorised Officer
Aadhar Housing Finance Limited

कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, इंदौर मण्डल इंदौर, आयुक्त कार्यालय परिसर, मोती बंगला, इंदौर

दूरभाष 0731(2430050) ई-मेल seresindore@mp.gov.in

क्रमांक /1351/निविदा/ग्रायांसेवा/2025 इंदौर दिनांक 7/08/2025

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक - 05/2025-26

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन पोर्टल **https://www.mptenders.gov.in** के माध्यम से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग- अलीराजपुर, खण्डवा, धार, इंदौर एवं खरगोन के निर्माण कार्यों की निविदा, निम्नांकित सिस्टम टेण्डर नं द्वारा आमंत्रित की जाती है:-

क्र	ऑनलाईन टेण्डर आई.डी.
1	2025_RES_442899
2	2025_RES_442909
3	2025_RES_442910
4	2025_RES_442915
5	2025_RES_442917
6	2025_RES_442918
7	2025_RES_442919
8	2025_RES_442920
9	2025_RES_442921
10	2025_RES_442922
11	2025_RES_442929

निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की प्रारंभ तिथि **14/08/2025** समय 14:00 बजे से तथा ऑनलाईन निविदा दर प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि **14/08/2025 एवं ऑनलाईन निविदा** दर प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 29/08/2025** समय 17:30 बजे तक। निविदा खोले जाने की दिनांक **01/09/2025** को इस कार्यालय में खोले जावेगे। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने हेतु **विस्तृत निविदा व अन्य विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर एवं कार्यालयीन समय में देखे जा सकते हैं।** उक्त निविदा में संशोधन होता है, तो पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

G-17081

अधीक्षण यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
इंदौर मण्डल इंदौर

बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल

WESTERN RAILWAY - RATLAM DIVISION

W/623/NIT/1 **Date:08.08.2025**

"E-TENDER NOTICE"

The Divisional Railway Manager (WA) RATLAM for and on behalf of the President of India invites *Open Tender* through e-tender on website **www.ireps.gov.in** the details are as under-

Sr. No.	E-tender No. & Name of Work	Approx value Rs.	Earnest Money in Rs.
1.	RTM-2025-26-80 Laxmibainagar-Dr Ambedkar Nagar Section-Providing B/wall in station approaches and along track side (Total-5.80 km)	₹4,59,47,982.09	₹3,79,700.00
2.	RTM-2024-25-152R1 Chanderiya-Ratlam - Khandwa Section:- Augmentation of watering arrangement by providing sump, over head tank and water pipe line including electric work	₹1,93,02,962.14	₹2,46,500.00
3.	RTM-2025-26-83 RTM-KNW section -Balance work of Annual repair and Maintenance of bridges in ADEN DADN section	₹1,00,00,000.00	₹2,00,000.00
4.	RTM-2025-26-86 DADN:- Repair to Station and colony road at	₹97,52,396.78	₹1,95,100.00
5.	RTM-2025-26-82 Sanawad Development of temporary Facilities at Goods Shed	₹1,35,36,513.48	₹2,17,700.00
6.	RTM-2025-26-81 Chanderia-Dhoswas section-Improvement of water supply and drainage facility in staff quarters (COR, SMP,GRF & NBH Rly Colony)	₹2,34,09,347.19	₹2,67,100.00
7.	RTM-2025-26-87 1.Chanderiya - Ratlam - TFR (ERC & Liners)-61.880 Tkm, TFR - (GRSP only) -77.985 Tkm including loop lines & 2.Ratlam Khandwa - TFR(ERC + Liner + GRSP) - 37.48 Tkm, TFR(ERC + Liners) - 34.747 Tkm, TFR (GRSP only) - 44.753 Tkm including loop line	₹1,12,40,187.83	₹2,06,200.00

Approx Quantity:- As per tender schedule, **Cost of Tender Form Rs:-** Nil, **Completion period:- Sr. No. 1 & 3,** 15 Months, **Sr. No. 2, 4, 5, 6 & 7** 12 Months, **Similar type of work:- Sr. No. 1, 3, 4, 5 & 6,** Any Civil Engineering Work, **Sr. No. 2,** Construction of RCC overhead tank., **Sr. No. 7,** Any Track Work, **Date of uploading on website:-** 08.08.2025, **Date of opening of Tender:-** 05.09.2025, • Detailed tender notice, eligibility criteria and terms and conditions are available at Website **www.ireps.gov.in**.

5/1/177 **Divisional Railway Manager (W/A), Ratlam**

Like us on: facebook.com/WesternRly

MEDI-CAPS LIMITED

CIN: L70100MP1983PLC002231
Registered Office: 201, Pushpratna Paradise, 9/5 New Palasiya Indore - 452001 (M.P.)
Phone: 0731-4028148 Email id: investors@medicaps.com; Website: www.medicaps.com

NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/OAVM (OTHER AUDIO-VISUAL MEANS)

This is to inform that the 42nd Annual General Meeting (**"AGM"**) of the members of Medi-Caps Limited (**"the Company"**) will be held on Thursday, September 18, 2025, at 12:30 P.M. (IST), through Video Conference (**"VC"**)/ Other Audio-Visual Means (**"OAVM"**) to transact the businesses as set out in the Notice convening the 42nd AGM.

The 42nd AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Circular issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual report for the financial year 2024-25 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Further, as per amended Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter which providing the web link including the exact path, where complete details of Annual Report are available, will be sent by the Registrar and Share Transfer of the Company to those shareholders who have not registered their email address(es), at their latest available address registered with the Company/Depository Participant(s). If you have not registered your email address with the Company/Depository Participant(s) you may please follow below instructions for registering/updating your email addresses:

Physical Holding	Members holding shares in physical mode and who have not updated their email address are requested to register/update their email addresses with Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Ankit Consultancy Private Limited by sending reuqest in prescriebd form ISR-1 and other relevent forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37dated May 7, 2024 as amended from time to time.
Demat Holding	Please update your email id with your respective Depository Participant (DP) after complying with the necessary instructions.

Members may note that the Notice of 42nd AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be available on the Company's website at www.medicaps.com and website of the Stock Exchange i.e. BSE limited at www.bseindia.com. The Notice of 42nd AGM will also be available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting/e-voting during the AGM. The detailed procedure of remote e-voting/e-voting during the AGM by members holding shares in physical mode and members, who have not registered their email id with the Company, is provided in the AGM Notice.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and follows the MCA Circulars and SEBI Circular.

By order of the Board
For, MEDI-CAPS LIMITED
Sd/-
ABHISHEK JAIN
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
ACS-36699

Place : **Indore**
Date : **12.08.2025**

ANIL PUB.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ-30072025-265068
CG-DL-E-30072025-265068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3423] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7,1947
No. 3423] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVNA 7, 1947

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29 July, 2025

S.O. 3506(E)-In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH552G in the stretch of land from Km. 133 to Km. 133.439 in the village(s) namely- Asondiya & Chanwli, Tehsil- Raipur in the district of JHALAWAR in the state of RAJASTHAN hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO (R), PIRAWA in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH552G in the stretch of land from Km. 133 to Km. 133.439 in the village(s) namely- Asondiya & Chanwli, Tehsil-Raipur in the district of JHALAWAR in the state of RAJASTHAN

5089 GI/2025

[F. No. NH-552G/Ujjain_Jhalawar/(3a)/3A/8]
Shaikh Amin Khan, Director

District: JHALAWAR
https://egazette.gov.in
Publication Date: 29 July 2025
https://bhoomirashi.gov.in

Note : The physical copy of this notification is also available at the office of CALA/PIU/PMU/ RO/ED and Landowners may also see the notification there.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ-30072025-265109
CG-DL-E-30072025-265109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3432] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7,1947
No. 3432] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVNA 7, 1947

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29 July, 2025

S.O. 3515(E)-In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH552G in the stretch of land from Km. 42.1 to Km. 81.5 in the village(s) namely- Aamla Agar, Badgon, Baitkheda, Bapcha Agar, Bhimlod (Pancharundi), Jhalara Agar, Jogpura, Kachnariya, Kankar, Kasba Agar, Kashibdirya, Mahudiya, Moyakheda, Nipanya Baijhnath, Paal Khedi, Pura Urf Sahab Nagar, Sumra Khedi, Tanodiya, Umariya Deoda Tehsil- Agar in the district of AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO, (R) AGAR-BADOD in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH552G in the stretch of land from Km. 42.1 to Km. 81.5 in the village(s) namely- Aamla Agar, Badgon, Baitkheda, Bapcha Agar, Bhimlod (Pancharundi), Jhalara Agar, Jogpura, Kachnariya, Kankar, Kasba Agar, Kashibdirya, Mahudiya, Moyakheda, Nipanya Baijhnath, Paal Khedi, Pura Urf Sahab Nagar, Sumra Khedi, Tanodiya, Umariya Deoda Tehsil-Agar in the district of AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH

5098 GI/2025

[F. No. NH-552G/Ujjain_Jhalawar/(3a)/3A/4]
Shaikh Amin Khan, Director

District: AGAR MALWA
https://egazette.gov.in
Publication Date: 29 July 2025
https://bhoomirashi.gov.in

Note : The physical copy of this notification is also available at the office of CALA/PIU/PMU/ RO/ED and Landowners may also see the notification there.

एक नजर

चोइथराम मंडी क्षेत्र में झाड़ियों में मिला नवजात का शव

इंदौर,(नप्र)। चोइथराम मंडी क्षेत्र में सोमवार सुबह राहगीरों ने झाड़ियों में एक नवजात बच्ची का शव देखा। शव के आसपास आवारा कुत्ते घूम रहे थे। सूचना मिलने पर राजेन्द्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को जिला अस्पताल भेजा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मृत बच्ची की उम्र दो से तीन दिन बताई जा रही है। शव कपड़े में लिपटा हुआ था और आसपास का इलाका खाली मैदान है, जबकि आगे-पीछे कॉलोनियां स्थित हैं। इसलिए पुलिस का मानना है कि बच्ची को यहां फेंका गया है। फुटेज खंगाल रही पुलिस बच्ची को कब और किसने फेंका इसे लेकर पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज मिलने पर ही सही स्थिति का पता चल सकेगा और आरोपी तक पहुंचना आसान हो पाएगा।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए नाबालिग की मौत

इंदौर,(नप्र)। मकान की दूसरी मंजिल पर पतंग उड़ा रहे 13 वर्षीय तोहिद पुत्र राज मियां की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव पोस्ट मार्टम के लिए मर्चुरी में भेज दिया है। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के मदीना नगर की है। राज मियां के रिश्तेदार अरसान ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे तोहिद पतंग उठा रहा था, तभी उसकी पतंग मकान के पास से निकले बिजली के तारों में उलझ गई। तोहिद पतंग निकालने का प्रयास कर रहा था, तभी तेज धमाका हुआ और तोहिद बुरी तरह से झुलसा हुआ छत पर पड़ा था।

एमवाय लेकर गए थे परिजन-मकान के बाहर मौजूद लोगों ने धमाके की आवाज सुनने के बाद तोहिद को देखा और परिजन गंभीर हालत में उसे उठाकर तुरंत एमवाय अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। तोहिद 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता पेशे से ड्राइवर हैं।

पति व देवरों ने की मारपीट

इंदौर,(नप्र)। चंदन नगर इलाके में महिला से विवाद करते हुए पति व देवरों ने पत्थर से हमला कर महिला का सिर फोड़ दिया।पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। चंदन नगर पुलिस के अनुसार गीता नगर निवासी शबनम शाह की शिकायत पर उसके पति जब्बार, देवर शाकिर और सद्दाम पर प्रकरण दर्ज किया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि मेरी माँ जरीना व बहन शादिहा मेरे पति जब्बार शाह को समझाने लगी तो इसी बात को लेकर मेरे पति जब्बार शाह ,देवर शाकिर शाह व सद्दाम शाह तीनो गालियां देने लगे तो मैंने गालियां देने से मना किया तो मुझे शाकिर ने पत्थर मे मारा जिससे मुझे सिर मे चोट आई है तथा मेरे पति जब्बार व सद्दाम ने हाथ थप्पड से मारपीट की एंव तीनो बोले कि आईन्दा तुने अपने घर से किसी को हमारे बीच मे बुलाया तो जान से खत्म कर देंगे।

युवक को चाकू से हमला, दोस्त को भी किया घायल

इंदौर,(नप्र)। भंवरकुआं इलाके में युवक और उसके दोस्त पर आरोपियो ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और कार में सवार होकर भाग निकले। पुलिस के मुताबिक घटना हिम्मत नगर पालदा की है।मामले में फरियादी शिवम पिता बाबूलाल यादव निवासी हिम्मत नगर की रिपोर्ट पर आरोपी प्रभु डाबर निवासी मयूर नगर मूसाखेड़ी, संतोष निवासी देवास व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।फरियादी ने बताया कि प्रभु अपने साथियों के साथ आया और मुझसे बोला कि तू उस दिन संजू बघेल के साथ बहुत तेज चल रहा था, तुझे पहले भी हमने समझाया है फिर भी तू नही मान रहा है, आज हम तुझे जान से ही मार देते है।

यह कहते हुए आरोपी प्रभु ने उसकी कमर मे रखा चाकू निकाल लिया और जान से मारने की नीयत से बाये तरफ सिर व पेट में चाकू मार दिया जिससे मुझे चोट लगकर खून निकलने लगा। जब मेरे दोस्त गोपाल पाटिल ने मेरा बीच बचाव किया तो प्रभु डाबर व अन्य साथी ने मेरे दोस्त को पकड लिया और संतोष व उनके साथी कार लेकर भाग गये।

दो तस्करों से एमडी ड्रग्स बरामद

इंदौर,(नप्र)। कोतवाली पुलिस ने संजय सेतु पार्किंग से 2 तस्करों को पकड़ा है जिनके कब्जे से एमडी ड्रग्स बरामद की गई। सेंट्रल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संजय सेतु पार्किंग में दो तस्कर एमडी ड्रग्स सप्लाय करने के लिए खड़े है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आमिर पिता रईस पठान और सलमान पिता फहीम बेग दोनों निवासी जूना रिसाला को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 13 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। दोनों आरोपियों से उनके नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

बेटे ने पिता का सिर फोड़ा

इंदौर,(नप्र)। चंदन नगर इलाके में मकान बेचने से मना करने पर बेटे ने पिता पर हमला कर सिर फोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक घटना शांति नगर की है। पुलिस ने फरियादी विजय पिता किशन चौहान की रिपोर्ट पर आरोपी जीवन चौहान के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि मेरा एक कच्चा मकान शांतिनगर में है। इसमे परिवार सहित रहता हूं । मेरा लडका उसे बेचने के लिए लोगों को कह रहा था। कल रात मैंने अपने लडके को कहा कि इस घर को बेचने की बात क्यों कर रहा है। उसने गालियां दी और ईंट से हमला कर सिर सिर फोड़ दिया।

संभागायुक्त ने पार्षद अनवर कादरी को जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र

25 अगस्त को संभाग आयुक्त न्यायालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के दिये आदेश

इंदौर,(नप्र)। संभागायुक्त दीपक सिंह ने वार्ड क्रमांक-58 के निगम पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाये जाने के संबंध में प्रचलित कार्रवाई के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संभागायुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का लिखित प्रतिउत्तर 25 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे संभाग आयुक्त न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्य सहित समक्ष में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। सूचना पत्र में लेख किया गया है कि नियत दिनांक एवं समय पर समक्ष सुनवाई में स्वयं अथवा विधिक प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित रहकर लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में विधि अनुसार एक पक्षीय आगामी कार्यवाही की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा विगत 20 जून 2025 को संभागायुक्त को आवश्यक दस्तावेजों सहित पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें पार्षद श्री अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने की कार्रवाई करने का लेख किया गया है। संलग्न किये गये

दस्तावेज अनुसार श्री अनवर कादरी के विरूद्ध देशद्रोही एवं कई अपराधिक मामले थानो में दर्ज होकर, अपराधिक प्रवृत्ति का होना उल्लेख किया गया है। साथ ही लेख किया गया है कि श्री कादरी के विरूद्ध विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई है कि श्री कादरी द्वारा लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिये एक सम्प्रदाय विशेष के युवकों को पैसा (फडिंग) दिया गया तथा लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिये युवकों को प्रेरित किया गया। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय) नगरीय पुलिस इंदौर द्वारा भी संभागायुक्त को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अनवर कादरी के विरूद्ध विभिन्न थानों में अपराधिक मामले दर्ज है। संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा अनवर कादरी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में लेख किया गया है कि आपके इस कृत्य से शहर में सद्भावना को ठेस पहुंची तथा शहर में साम्प्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने का कार्य किया है। उक्त कृत्य से क्यों ना आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 19 (1) (अ) के अनुसार कार्यवाही की जाये। संभागायुक्त द्वारा अनवर कादरी को कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिउत्तर संभाग आयुक्त न्यायालय में 25 अगस्त को प्रातः 11 बजे स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

10 थानों में 20 से अधिक प्रकरण दर्ज है

संभागायुक्त श्री सिंह ने महापौर भार्गव द्वारा दिये गए पत्र के बाद से ही इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। सम्बंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गई। इस सम्बंध में पुलिस उपायुक्त द्वारा अनवर कादरी से जुड़े समस्त प्रकरणों की जानकारी पत्र जारी कर चाही गई। पुलिस उपायुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार अनवर कादरी पिता मोहम्मद असलम कादरी उर्फ अनवर पर इंदौर नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अलावा महाकाल उज्जैन थाना में भी भादवि के तहत 392 का प्रकरण पंजीबद्ध है। इसके अलावा इंदौर नगर के संयोगितागंज थाने में 7 प्रकरण, सदर बाजार थाने में 4, खजराना में 3, बाणगंगा में 2, चंदन नगर थाने में 2, जूनी इंदौर, सराफा, छोटी ग्वालटोली और एमजी रोड थाने में विभिन्न धाराओं में 1-1 प्रकरण पंजीबद्ध है।

बाइकों पर तिरंगा लेकर निकली पुलिस

500 से ज्यादा पुलिसकर्मी ,नगर सुरक्षा समिति के सदस्य हुए शामिल, स्वच्छता का दिया संदेश

इंदौर,(नप्र)। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा - हर घर स्वच्छता अभियान के तहत सोमवार को भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी व नगर सुरक्षा समिति के सदस्य शामिल हुए।

रैली की शुरूआत पुलिस कमिश्नर ऑफिस, पलासिया से हुई, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सेल्फी पॉइंट का फीता काटकर और तिरंगा दिखाकर रैली को रवाना किया। बाइक रैली इंद्रप्रस्थ चौराहा, रीगल चौराहा होते हुए राजबाड़ा पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पुलिसकर्मियों ने अपनी बाइक पर तिरंगा लेकर देशप्रेम के नारे लगाए और नागरिकों को संदेश दिया कि हर घर पर राष्ट्रध्वज पूरे सम्मान के साथ फहराएं और स्वच्छता का संकल्प लेकर राष्ट्रीय पर्व को मनाएं।

रैली में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और कई थाना प्रभारी शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान न सिर्फ देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता के लिए भी प्रेरित करता है। यह अभियान 11 से 15 तक अगस्त चलेगा।

तीन बालिकाओं को पुलिस ने ढूंढा

इंदौर,(नप्र)। आजाद नगर थाना क्षेत्र में तीन नाबालिग बालिकाएं गुम हो गई थी। परिजन परेशान होते रहे और पुलिस ने पूरी जानकारी परिजनों से ली और दो घंटे में अलगअलग टीम के माध्यम से ढुंढाई कर बालिकाओं को परिजनों के सुपुर्द किया।

थूकने के विवाद पर ढाबा संचालक की हत्या

तीन आरोपियों ने छोटे भाई और दोस्त को भी मारे चाकू, बाइक के नंबर से पकड़ाए

इंदौर,(नप्र)। थूकने को लेकर हुए विवाद में ढाबा संचालक की हत्या कर दी गई। उसका छोटा भाई और दोस्त घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब साढ़े 12 बजे की है। तीनों आरोपी मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। बाद में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने सोमवार तड़के उन्हें पकड़ा।

विजयनगर पुलिस के मुताबिक, नंदानगर निवासी लेखराज (30) और शुभम (22) मेघदूत गार्डन के पास राजा राम मिनी ढाबा चलाते हैं। शुभम छोटा जबकि लेखराज बड़ा भाई है। रविवार देर रात ढाबा बंद करने के बाद दोनों भाई अपने पार्टनर बंटी (30) के साथ घर के लिए निकले थे।

सीने में मारा चाकू, मौके पर ही गई जान-घायल बंटी ने बताया- घर लौटने के दौरान नेहरू नगर निवासी जगदीश सिसोदिया, अंजनी नगर के पवन रजक और राज अहिरवार मिले। वे शराब पीकर बाइक से कहीं जा रहे थे। उन्होंने लेखराज के पैर के पास थूका। इस पर हमने उन्हें टोका। बहस बढ़ी तो दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। जगदीश, पवन और राज ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। लेखराज को सीने में गंभीर घाव लगा। नजदीकी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुभम और बंटी को हाथ-पैर में चाकू लगने से चोटें आई हैं। बंटी ने बताया कि आरोपी स्कीम नंबर 54 की वाइन शॉप से निकले थे।

बेटी की बीमारी से मौत हो गई थी-लेखराज के पिता रमेश जाटव ने कहा- दोनों बेटे और उनका दोस्त बंटी मिलकर ढाबा चलाते थे। लेखराज ने तीन साल पहले लव मैरिज की थी। उसकी एक बेटी की बीमारी के चलते कुछ समय पहले ही मौत हुई है।

मालवा मिल ब्रिज से गिरे युवक की मौत

बाइक का संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, पुलिस ने मर्ग कायम किया

इंदौर,(नप्र)। परदेशीपुरा इलाके में बन रहे मालवा मिल ब्रिज पर रविवार रात एक युवक हादसे का शिकार हो गया। वह बाइक का संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उसे एमवाय अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान गोलू उर्फ राधेश्याम (35) पुत्र नवलकिशोर कुशवाह निवासी मंडावला इंडोरमा पीथमपुर के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू की है। पुलिस लापरवाही को लेकर भी जांच कर रही है।

बेरिकेट्स न होने से हुआ हादसा-मालवा मिल ब्रिज का निर्माण कार्य करीब 4 माह से जारी है, जिसकी समय सीमा 1 वर्ष तय की गई है। निर्माण के दौरान ब्रिज के दोनों छोर पर बेरिकेट्स से रास्ता बंद नहीं किया गया था। रात में गोलू बाइक का संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल भेजा, लेकिन वह बच नहीं सका।

-:: जाहिर सूचना ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार ने ग्राम चितावद तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर म०प्र० यहां स्थित सर्वे नंबर 345/1/मिन-1, 346 पै. (0.547), 349/1 (0.358) से परिवर्तित सर्वे नंबर 345/1/1 जिसका कुल रकबा 0.994 में से पैकि रकबा 0.126 हेक्टेयर कृषि भूमि को क्रय करने का सौदा किया होकर विक्रय प्रतिफल की आंशिक धनराशि अदा कर दी है। उक्त संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था इत्यादि का भार, बोझा, हित, अधिकार, डिक्री, अटेचमेंट हो या इस विक्रय व्यवहार में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिनो में सप्रमाण अपनी लिखित आपत्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। अवधि समाप्ति पश्चात विक्रय पत्र का पंजीयन मेरे पक्षकार के हित में करवा लिया जावेगा एवं कोई आपत्ति मेरे पक्षकार के हितों पर बंधनकारक/मान्य नहीं होगी। इति,
इन्दौर
दिनांक : 09/08/2025
राहुल सिंह रावत (अभिभाषक)
110, फॉर्च्यून एम्बियेंस, सूर्या होटल के पास, साउथ तुकोगंज, इन्दौर
मो. नंबर 9826696599

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अशोक कुमार मौर्य था। जिसे मैने परिवर्तित कर **अशोक मौर्य** कर लिया है। अतः अब से भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अशोक मौर्य से ही जाना व पहचाना जाए।
पता-अशोक मौर्य पिता मिठ्ठूलाल मौर्य 59/ए प्रजापत नगर लाला फार्म हाउस इंदौर (मप्र)452009

मेडीकैप्स लिमिटेड
CIN: L70100MP1983PLC002231
पंजीकृत कार्यालय : 201, पुष्परत्न पैराडाइज, 9/5, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) 452001
फोन : 0731-4028148, ई-मेल : investors@medicaps.com, वेब पोर्टल : www.medicaps.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित होने वाली 42वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि मेडी-कैप्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 42 वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे (आई.एस.टी) केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमे एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), जो एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना VC/OAVM के माध्यम से एजीएम करने की अनुमति देते है, के अनुपालन में एजीएम को VC/OAVM से आयोजित किया जाएगा। सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल) द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पता कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 36 के अनुसार, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर द्वारा उन शेयरधारकों को, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें सटीक पथ सहित वेबलिंक प्रदान किया जाएगा, जहां वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है। यदि आपने कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया आप अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए नीचे दिये गए निर्देशों का पालन करे।

भौतिक पद्धति	भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल कंपनी/ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास रजिस्टर नहीं करवाया है, ऐसे शेयरधारको से अनुरोध है कि वह कंपनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (अंकित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड) को ई-मेल द्वारा अनुरोध कर इसे अपडेट करवाये, साथ ही हस्ताक्षरित फ़ार्म ISR-1 में अनुरोध पत्र की प्रति के साथ सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 07 मई 2024 में बताय गए अन्य फ़ार्म के साथ अनुरोध करे।
डी-मेट पद्धति	कृपया अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करे और आपके डी पी द्वारा बताए निर्देशो का पालन कर अपना ई-मेल पता पंजीकृत करे।

सदस्य ध्यान दे कि 42वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी की वेबसाइट www.medicaps.com और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध रहेगी। 42वीं एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेंगी।

सदस्यों को एजीएम सूचना मे बताए गए कारोबार पर एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग माध्यम से और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान का उपयोग करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए एजीएम से पहले तथा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया को एजीएम सूचना मे उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एम.सी.ए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेश से, मेडीकैप्स लिमिटेड
हस्ते/- अभिषेक जैन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
ए.सी.एस. 36699
दिनांक : 12 अगस्त 2025
स्थान : इन्दौर
ANIL PUB

क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य को 30 नवम्बर तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें : प्रमुख सचिव पी. नरहरि

सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का सकारात्मक निराकरण समयसीमा में करें

इंदौर,(नप्र)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री पी. नरहरि की अध्यक्षता में आज इंदौर एवं खरगोन मण्डल के विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक इंदौर में सम्पन्न हुई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता श्री संजय कुमार अंधवान, इंदौर मण्डल के अधीक्षण यंत्री श्री सुनील कुमार उदिया, खरगोन मण्डल के अधीक्षण यंत्री श्री एन.एस. भिड़े, मध्यप्रदेश जल निगम के मुख्य महाप्रबंधक श्री आलोक जैन सहित संभाग के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री आदि शामिल हुए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख

सचिव श्री पी. नरहरि ने इंदौर और खरगोन मण्डल में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चल रहे क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति रिपोर्ट एवं योजना हस्तांतरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में श्री नरहरि ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनहितैषी योजनाओं को समयसीमा में गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। इंदौर संभाग का कोई भी घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से वंचित नहीं रहे और सभी को इस योजना का लाभ मिले। अधिकारी मैदान में जाकर भौतिक सत्यापन करें और हर सप्ताह उसकी मॉनीटरिंग करें तथा प्रगति रिपोर्ट बनायें। उन्होंने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें तथा किसी भी प्रकार के लीकेज या दूषित पेयजल की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें। जल स्त्रोंतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रभावी कदम उठायें।

तिरुपति स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: L15321MP1985PLC003181
पंजीकृत कार्यालय: श्री राम चेम्बर्स, 12, अग्रवाल नगर मेनरोड, इंदौर-452001 (म.प्र.) संपर्क: 0731-4905001, 4905002
ई-मेल: tirupati@tirupatistarch.com, वेबसाइट: www.tirupatistarch.com

39वीं वार्षिक आम सभा एवं ई-मतदान सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('SEBI') (सूचीकृत आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण नियमावली) विनियम, 2015 के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('MCA') और SEBI द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, तिरुपति स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') की **39वीं वार्षिक आम सभा ('AGM') शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को अपराह्न 1:00 बजे (IST)** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, श्रीराम चेंबर्स, 12, अग्रवाल नगर मेनरोड, इंदौर-452001 (म.प्र.) पर भौतिक रूप से एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (OAVM) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रेषित किये गये, 39वीं AGM के नोटिस में दर्शाए गए व्यवसायों पर चर्चा की जाएगी।

MCA परिपत्रों और SEBI परिपत्रों के अनुपालन में, AGM का नोटिस और 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉज़िटरी के साथ पंजीकृत हैं। इसकी भौतिक प्रति केवल अनुरोध पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य कृपया ध्यान दें कि AGM नोटिस और 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.tirupatistarch.com** पर भी उपलब्ध है। यह नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर और CDSL की वेबसाइट **www.evotingindia.com** से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकृत आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण नियमावली), 2015 के संशोधित विनियमन 36 के अनुसार, एक पत्र जिसमें कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का Weblink और पथ शामिल है, उन शेयरधारकों को भेजा गया है जिन्होंने कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉज़िटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और SEBI (सूचीकृत आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण नियमावली) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. AGM नोटिस में दर्शाए गए व्यवसायों पर मतदान रिमोट ई-मतदान सुविधा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) द्वारा **www.evotingindia.com** पर रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान और AGM के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. रिमोट ई-मतदान सुविधा **मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को सुबह 9:00 बजे (IST)** से शुरू होगी और **गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 को शाम 5:00 बजे (IST)** समाप्त होगी। इसके बाद ई-मतदान सुविधा बंद कर दी जाएगी।
3. कंपनी ने **शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025** को "कट-ऑफ तिथि" के रूप में निर्धारित किया है, ताकि AGM में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र सदस्यों की पहचान की जा सके।
4. सदस्यों के मतदान के अधिकारों की गणना उनकी अंशधारी पूंजी में हिस्सेदारी के अनुसार की जाएगी। एक बार किसी सदस्य द्वारा रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर मतदान किया गया है, तो बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, तो उसे इस बैठक की सूचना केवल जानकारी के उद्देश्य से मानना चाहिए।
5. बैठक में मतदान के लिए पोलिंग पेपर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उपस्थित सदस्य जो पहले से रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान नहीं कर चुके हैं, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बैठक में पहले से रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
6. कोई भी व्यक्ति जो इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि (शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025) के अनुसार कंपनी का सदस्य बनता है, उसे नोटिस में वर्णित प्रथम बार उपयोगकर्ता के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पहले से डिपॉज़िटरी के साथ ई-मतदान के लिए पंजीकृत है, तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे AGM के नोटिस में दी गई रिमोट ई-मतदान और AGM के संबंध में विस्तृत निर्देशों को ध्यानपूर्वक देखें।
8. जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट (मेसर्स अंकित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड) को निर्धारित फॉर्म भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत करें, जो उसकी वेबसाइट **www.ankitonline.com** या कंपनी की वेबसाइट **www.tirupatistarch.com** पर उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों के पास डिमैट रूप में शेयर्स हैं, वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ सीधे अपने ई-मेल पते को पंजीकृत / अपडेट करने का अनुरोध करें।
9. ई-मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों को **श्री राकेश दलवी**, सीनियर मैनेजर, सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL), ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर या ई-मेल **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर भेजें या टोल-फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें।
10. सदस्य और शेयर ट्रांसफर रजिस्टर **शनिवार, 23 अगस्त, 2025 से शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 तक** (दोनों दिवस समावेशी) AGM के उद्देश्य के लिए बंद रहेगा।

बोर्ड के आदेशानुसार
तिरुपति स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड
अनुराग कुमार सक्सेना
(कम्पनी सचिव)
दिनांक: **11 अगस्त, 2025**
स्थान: **इंदौर**